न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी पर्वत सिह चुण्डावत (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 41/2013
उनवान मुकदमा

1 श्रीमती बबली बेवा अशोक उम्र वयस्क जाती भील निवासी देवगढ हाल मकान नम्बर 2'ए'–26 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ,बांसवाडा तहसील व जिला
2 अजय पुत्र श्री अशोक नाबालिंग की वलीया माता श्रीमती बबली बेवा अशोक जाति भील,निवासी देवगढ हाल मकान नम्बर 2–ए–16 हाउसिंग बोर्ड बांसवाडा(राज.)

वादीगण

बनाम

1 श्री सन्तु पिता श्री मगरू जाति भील ,निवासी देवगढ,तहसील व जिला बांसवाडा (राज)
2 श्री दिनेश पिता श्री मगरू,जाति भील निवासी देवगढ,तहसील व जिला बांसवाडा
3 श्रीमती सुरज बेवा मगरू जाती भील निवासी देवगढ ,तहसील व जिला बांसवाडा
4 श्री दिलीप पिता श्री अशोक नाबालिग की दादी व संरक्षक श्रीमती सुरज बेवा मगरू जाति भील ,निवासी देवगढ,तहसील व जिला बांसवाडा(राज.)
5 सुश्री मनीषा पुत्री श्री अशोक नाबालिग की दादी व संरक्षक श्रीमती सुरज बेवा मगरू जाति भील ,निवासी देवगढ ,तहसील व जिला बांसवाडा(राज.)
6 तहसीलदार बांसवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 128–136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

वादी अभिभाषक श्री मुकेश द्विवेदी
प्रतिवादी अभिभाषक श्री लक्ष्मण डोडीयार

दिनांक :– 19.02.2019

वादीगणों ने एक प्रार्थीगण 1 से 5 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य का खाता सम्वत 2069 से 2072 तक खाता नम्बर 82(नया) 90 (पुराना) के सर्वे नम्बर 228 रकबा 05 बीघा,लगानी 5.50 पैसा,सर्वे नम्बर 229 रकबा 0.16 बिस्वा, लगानी 0.80 पैसा ,सर्वे नम्बर 667/231 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा ,लगानी 3.11 पैसा वाके ग्रम छत्रसालपुर,पटवार हल्का भापोर, तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) उक्त भूमि पर वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण बहैसियत खातेदार के काबिज है । लेकिन वादीगण का नाम बतौर खातेदार के सेवन से राजस्व रेकार्ड में [illegible] रह गया है, जबकि वादीगण अशोक पिता श्री मंगरू के हिस्से [illegible]दार के साथ काबिज होकर काश्त कर रहे है । वादीगण [illegible] 4 के साथ वादीगण भी खातेदार कृषक है, रेकार्ड में दुरस्ती करना [illegible] धारा 128–136 एल.आर.एक्ट में

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.10 16:25:50 IST
Reason: SelfAttested

पेश हुआ वादीगण अशोक पिता श्री मंगरू के हिस्से की भूमि में बतौर उत्तराधिकारी के नाम दर्ज कराना चाहते है । तथा अशोक पिता श्री मंगरू के अन्य खेतों में वादी संख्या 1 का नाम बतौर उत्तराधिकारी के दर्ज है । उक्त खाते के अन्य सहखातेदारों के साथ राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करना आवश्यक है, गवाहन श्री कालु पिता रूपा निवासी नादिया तहसील व जिला बांसवाडा द्वारा अपने बयान में प्रतिवादी संख्या 1 सें 5 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावें में भी वादीगण के नाम की स्वीकृती है, तथा प्रतिवादी संख्या 6 भूमिधारी तहसीलदार साहब ने अपने जवाब दावें में वादीगण बतौर वारित शामील किया जाना माना है ,गवाहन श्री कालु पिता रूपा निवासी नादिया के बयान कमल बध किये जिसमें अपने वित्तीय संस्थाओ से ऋण प्राप्त करने हेतु नवम्बर 2011 में वादीगण ने खसरे व जमाबन्दी की नकले प्राप्त की और यह ज्ञात हुआ कि वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु रह गया है वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि में अपना नाम दर्ज कराने हेतु पटवारी साहब से निवेदन किया तो उन्होने बताया कि आप उत्तराधिकारी है तथा अशोक पिता श्री मंगरू के जीवनकाल से वादीगण मंगरू के उत्तराधिकारी है तथा अशोक पिता मंगरू के जीवनकाल से वादीगण काश्त कर उक्त भूमि कृषि योग्य बनाई है तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पर वादीगण काश्त करते चले आ रहे है तथा वादीगण बहैसियत खातेदार के काबीज है ।वादीगण की जानकारी के बिना प्रतिवादीसंख्या 4 का नाम प्रतिवादीगण के साथ वादग्रस्त खाते में दर्ज कर दिया,लेकिन वादीगण का नाम बतौर खातेदार के सेवन से राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना रह गया है । जबकि वादीगण अशोक पिता मंगरू के हिस्से में अपने उक्त खातेदार के साथ काबीज होकर काश्त कर रहे है । वादीगण को प्रतिवादी संख्या 4 के साथ उक्त खाते के अन्य सहखातेदारों के साथ राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करना आवश्यक है ,जिस हेतु खातेदार घोषित करने हेतु वाद प्रस्तुत किया था ।मूल पुरूष से प्राप्त अपने हिस्से के बहैसियत खातेदार के काबीज है लेकिन राजस्व रेकार्ड मं बतौर अशोक पिता मंगरू के फौत होने के बाद प्रतिवादी संख्या 4 का ही नाम बहैसियत खातेदार के दर्ज किया गया है । जबकि प्रतिवादी संख्या 4 के साथ वादीगण भी खातेदार कृषक है जिनका नाम प्रतिवादी संख्या 4 के साथ दर्ज कर रेकार्ड में दुरस्ती करना आवश्यक है । वादीगण का नाम सेवन से दर्ज होने से रह गया है ।

पत्रावली में प्रतिवादीयों नोटीस भिजवाये गये सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए जो पत्रावली शुमार किये गये प्रकरण में पी.डब्ल्यू –1 श्रीमती बबली बेवा अशोक निवासी देवगढ हाल मकान नंबर 2–ए–18 हाउसिंग बोर्ड कालोनी बांसवाडा ने अपने कथन में आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. वादीया सं. 1 से 5 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य का खाता सम्वत 2069 से 2072 तक खाता नम्बर (82) नया 90(पुराना) के सर्वे नम्बरान सर्वे नंबर 228 ,229 ,667 / 231 वाके ग्रम छत्रसालपुर पटवार हल्का भापोर तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण कब्जा काश्त होकर काश्त कर रहे है प्रतिवादीगण के साथ वादीगण का उक्त भूमि पर हक, अधिकार व हिस्सा है । वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का सजरा में मूल पु[illegible] है । जिसकी चार संतान में सन्तु , अशोक ,दिनेश, व सुरज (ब[illegible] संतान दिलीप,मनीषा ,अजय, व स्वंय बबली (बेवा) का नाम भी है । जमाबन्दी(प्रतिलिपि) सम्वत 2069 – 2072 में खेवट 82(नया),90(पुराना) में भी दिलीप पिता अशोक,सन्तु पि[illegible] मगरू व दिनेश पिता मगरू .

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.10 16:25:50 IST
Reason: SelfAttested

नाबालिग का नाम है । नामान्तरकरण संख्या 997 दिनांक 10.01.2013बालिग दिनेश के बालिग होने से दिलीप पिता अशोक सन्तु दिनेश पिता मगरू सुरज बेवा मगरू भील सह खातेदार हि. व के नामा खाता (किता 3 रकबा 8.10 बीघा दर्ज है ।

बयान गवाह प्रर्दश –2 श्री कालु पिता रूपा भील निवासी नादिया तहसील बांसवाडा ने अपने कथन में कि मै अशोक फोत हो गये है । बबली उनकी पत्नी है व अजय उनका पुत्र है। इनकी कृषि भूमि देवगढ में है वह भी मुझे पता है । इन्होने दावा खाते में नाम दर्ज कराने हेतु पेश किया है कहा कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण के अन्य खातें में भी दोनो पक्षकारान का राजस्व में नाम दर्ज है । मै अशोक की कृषि भूमि गांव छत्रसालपुर की जानता हूॅ । अशोक की मृत्यु हो गये है । बबली उनकी पत्नी है व अजय उनका पुत्र है । इनकी कृषि भूमि देवगढ में है वह भी मुझे पता है । इन्होने दावा खातें में नाम दर्ज कराने हेतु पेश किया है मैने अशोक व बबली को खेती करते हुऐ देखा है ।

वादी / प्रतिवादी अभिभाषक की बहस सुनी गई जमाबन्दी सम्वत 2069–2072,सम्वत 2051–2054,सम्वत 2068–2071 एवं गवाहन के बयान के साथ वंशावली व साथ ही प्रदर्श 4 का अध्यन में अशोक व बबली का नाम है, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो व गवाहन के बयान गहनता से मनन करने के पश्चात इस नतीजे पर पहुचें की वादीगण का नाम बतौर खातेदार सेवन से राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना रह गया है । वादीगण को प्रतिवादी संख्या 4 के साथ उक्त खाते के अन्य सहखातेदारो के साथ राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है ।

आदेश

सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर आदेश किया जाता है । कि वादीगण के उक्त खाते खेतो में मूल पुरूष मंगरू से प्राप्त अपने हिस्से के बहैसियत खातेदार के काबिज है, लेकीन राजस्व रेकार्ड मे बतौर अशोक पिता श्री मंगरू के फौत होने के बाद प्रतिवादी संख्या 4 का ही नाम बहैसियत खातेदार के दर्ज किया गया है । जबकि प्रतिवादी संख्या 4 के साथ वादीगण भी खातेदार कृषक हैं, वादीगण को प्रतिवादी संख्या 4 के साथ उक्त खाते के अन्य सहखातेदारों के साथ राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है ।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को सरे इजलास सुनाया जाकर पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबरान से कम हो ।

(पर्वत सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.10 16:25:50 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2020.02.20 15:00:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: